

F.S.S case No 03/2017-18

state

Mr. ~~...~~ Amitabh

परिशिष्ट-1

## लोक अदालत के समक्ष

स्थान का नाम-जमशेदपुर

विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जमशेदपुर द्वारा आयोजित

याची/वादी/परिवादी का नाम : M/s. Steel workers welfare society

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी का नाम :

F.A case no - 3/2017-18 के न्यायालय की कार्यवाही संख्या :

उपस्थिति :

न्यायिक अधिकारी/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी का नाम : Sri. M.K Sharma, C.J.M, Jamsheer

सदस्यों का नाम (1) Sri. M.K Sharma, C.J.M

(2) ~~...~~

### अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है। परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है:


Case has been compromised on depositing fine amount of Rs. 15,000/- in presence of the authorized person of the defendant and the opposite party.

करों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय कि फीस, यदि कोई नदनों से किसी द्वारा संदत की गई है, तो यह वापस की जाएगी।

M. K. Sharma  
/वादी/परिवादी का हस्ताक्षर

  
अधिकारी



  
सदस्य

K. R. K. K. K.  
प्रतिवादी/प्रत्यर्थी का हस्ताक्षर

  
सदस्य

(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मुद्रा)